## प्रेस नोट दिनांक 07.07.2024

**01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अंतू के उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह का0 श्रवण कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 265/2015 धारा 379 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त सत्यनारायण यादव पुत्र भगौतीदीन निवासी गौबरी बासूपुर थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ को उसके के पास गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सत्यनारायण यादव पुत्र भगौतीदीन निवासी गौबरी बासूपुर थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह का0 श्रवण कुमार थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

पुलिस अधीक्षक ने दिए चेकिंग के कड़े निर्देश

सांगीपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुजाखर ईट भट्टे के सामने सिधौली मार्ग तिराहे के पास से 02 अभियुक्त गिरफ्तार

घर में घुसकर एकराय होकर मारपीट करना, हत्या का प्रयास करना के अभियोग में अभियुक्तगण गिरफ्तार किये गये

अभियुक्तों की निशानदेही पर कब्जे से घटना में प्रयुक्त डण्डा, कुल्हाड़ी बरामद किये गये

घटना का संक्षिप्त विवरण-

**दिनांक 05.07.2024 को वादी के परिवारजन भाई, पत्नी, भतीजे को पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण शिव वर्मा, शिवराम वर्मा पुत्रगण संतराम वर्मा, मंटू, प्रमोद पाल पुत्रगण राजेन्द्र पाल एवं अन्य साथियों द्वारा एकराय होकर लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी से वादी के घर में घुसकर जान से मारने की नियत से प्रहार कर घायल करने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 124/2024 धारा 119(2), 119(3), 190, 115(2), 109,110 बीएनएस बनाम 4 व्यक्ति नामजद व अन्य साथी अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।**

**पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक,पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर के नेतृत्व में उ0नि0 मुसाफिर यादव मय हमराह का0 अमित कुमार यादव, का0 वीरेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तालाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 124/2024 धारा 119(2), 119(3), 190, 115(2), 109,110 बीएनएस से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त, 01.शैलेन्द्र पाल उर्फ मंटू पाल पुत्र मुन्ना पाल 02. शिवकुमार वर्मा उर्फ शिव पुत्र संतराम वर्मा निवासीगण ग्राम सिधौली थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 07.07.2024 को समय 11.45 बजे घटना में प्रयुक्त डण्डा व कुल्हाड़ी के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुजाखर ईट भट्टे के सामने सिधौली मार्ग तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा व कुल्हाड़ी को बरामद किया गया।**

अभियुक्तों का विवरण-

**01. शैलेन्द्र पाल उर्फ मंटू पाल पुत्र मुन्ना पाल निवासी ग्राम सिधौली थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।**

**02. शिवकुमार वर्मा उर्फ शिव पुत्र संतराम वर्मा निवासी ग्राम सिधौली थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।**

**बरामदगी-**

**घटना में प्रयुक्त डण्डा व कुल्हाड़ी बरामदगी**

**पुलिस टीम-**

**उ0नि0 मुसाफिर यादव मय हमराह का0 अमित कुमार यादव, का0 वीरेन्द्र यादव थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़ ।**

**थाना उदयपुर, जनपद  प्रतापगढ़**

**पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,**

**अपहरण के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

**थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत राहाटीकर चौराहे के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया**

**घटना का विवरण-**

**दिनांक 12.06.2024 को वादिनी की पुत्री को आरोपीगण द्वारा भगा ले जाने के संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार मु0अ0सं0 111/24 धारा 363,366, 504, 506 भादवि बनाम 02 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी उदयपुर के नेतृत्व में उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह का0 गिरजाशंकर, का0 गिरीश वघेल द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मु0अ0सं0 111/24 धारा 363,366, 504, 506 भादवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, 1- शिवबहादुर पुत्र स्व0 शंकर निवासी ग्राम बोझी चाहिन मजरे लखापुर थाना उदयपुर, प्रतापगढ़ को दिनांक 07.07.2024 को 11.30 बजे थानाक्षेत्र उदयपुर के राहाटीकर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- शिवबहादुर पुत्र स्व0 शंकर निवासी ग्राम बोझी चाहिन मजरे लखापुर थाना उदयपुर, प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह का0 गिरजाशंकर, का0 गिरीश वघेल थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

अवैध रूप से व्यापार कर रहा पटाखा व्यापारी गिरफ्तार

विस्फोटक पदार्थ अधि0 में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, 07 बण्डल पटाखा बनाने का सामान व उपकरण बरामद।

दिनांक 06.07.2024 में थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत रामगंज बाजार में जामा मस्जिद गली में स्थित एक किराये के मकान में अवैध रूप से रखे पटाखे में अचानक विस्फोट होने की घटना में राहगीर 01 लड़की हो गई घायल।

उच्चाधिकारी द्वारा फील्ड यूनिट व बम डिस्पोजल टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर किया गया था घटना स्थल का निरीक्षण।

शक्तिशाली विस्फोट से मकान का मलवा व घर में रखा सामान बाहर सड़क पर बिखर पड़ा था तथा घर का छत गिर गई व मकान में आग लग गई जिससे पटाखों के जलने फटने व बारूद की तेज गंध आ रही थी।

फायर सर्विस टीम पट्टी की सहायता से तत्काल आग पर नियन्त्रण पाया गया।

विस्फोट में घायल लड़की को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी अमरगढ़ भेजा गया।

आतिशबाज का लाइसेंस दिनांक 31.03.2018 तक था वैध

लाइसेंस धारक का पुत्र द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ इक्टठा कर पटाखे बनाकर चोरी छिपे कर रहा था व्यापार।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराध में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व

क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के निकट पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह थाना आसपुर देवसरा के नेतृत्व में आज दिनांक 07.07.2024 को उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0 191/24 धारा 288, 125 BNS व धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर की सूचना पर थाने के द्वितीय मोबाइल पर तैनात अधि0/कर्मी म0उ0नि0 दिब्या सिंह मय हमराह का0 नन्द किशोर, का0 राकेश कुमार को साथ लेकर क्षेत्रान्तर्गत मानापुर बार्डर एक व्यक्ति के ट्यूबेल के पास से 01 अभियुक्त सोल्जर पुत्र नन्हे व 01 अभियुक्ता अनवरी बेगम पत्नी नन्हे निवासी रामगंज बाजार थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को समय करीब 9.00 बजे में गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तगणों की निशानदेही पर समय करीब 10.00 बजे में पटाखा बनाने का समान व उपकरण को बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों नें पूछताछ में बताया कि हमारे पिता नन्हे लाल की पटाखा बनाने व बेचने के लाइसेन्सी थे, जो वर्ष 2018 में लाइसेन्स समाप्त हो गया था जिसका नवीनीकरण नहीं कराये थे और उन्हें लकवा मार दिया था, मैं अपनी माँ अनवरी बेगम के साथ मिलकर गांव के ही आलोक तिवारी पुत्र स्व0 विनोद त्रिपाठी निवासी कस्बा रामगंज का घर किराये पर लेकर चोरी छिपे पटाखा बनाने का सामान व बारूद आदि खरीदकर व्यापार करते थे। आगामी त्योहार के दृष्टिगत भारी मात्रा में विस्फोटक सामान/ उपकरण खरीदकर मैंने आलोक तिवारी के मकान में इक्ट्ठा कर रखा था और पटाखा भी तैयार किया था लेकिन दिनांक 06.07.2024 को अचानक घर में विस्फोटर हो जाने के कारण सारा सामान, बारूद आदि जलकर राख हो गया। कुछ बारूद व पटाखा बनाने का सामान मेरे पुराने मकान में भी है मैं चलकर बरामद करा सकता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1- सोल्जर पुत्र नन्हे उम्र करीब 20 वर्ष निवासी कस्बा रामगंज बाजार थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

**2- अनवरी बेगम पत्नी नन्हे उम्र करीब 58 वर्ष निवासी कस्बा रामगंज बाजार थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।**

**बरामदगी –**

**1 – पटाखा बनाने की बत्ती 573 ग्राम**

**2- एक बण्डल छोटी बत्ती 93 ग्राम**

**3- पाउडर काला 50 ग्राम**

**4- पाउडर सिल्वर कल कागज में लिपटा 10 ग्राम**

**5- कोयला 13 किलो 500 ग्राम**

**6- 30 अदद पटाखे का खोखा**

**7- पटाखा बनाने के उपकरण प्लास, सूजा, बाँस का डंडा**

**घटना का संक्षिप्त विवरण -**

**दिनांक 06.07.2024 को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा रामगंज बाजार में सुबह करीब 8.30 बजे एक किराये के मकान जिसमें पटाखा बनाने के विस्फोट सामान रखे हुए थे, में अचानक विस्फोट हो जाने व शक्तिशाली विस्फोट में मकान के बाहर राहगीर एक लड़की के घायल हो जाने तथा मकान की छत्त आदि टूटने व सामान जलने की घटना के संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 191/24 धारा 288, 125 BNS व धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 बनाम 02 नामजद अभियुक्तों के अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।**

**पुलिस टीम - उ0नि0 राजेश कुमार, म0उ0नि0 दिब्या हमराह का0 नन्द किशोर, का0 राकेश कुमार थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।**